उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3 « JAN [illegible] V (3) 260

(13)

द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार बानबे मात्र) क्रेता से प्राप्त करके ज़िलाधिकारी, ज़िला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखन्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार बानबे मात्र) ज़िला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
[illegible]
[illegible] श्रीवास्तव

अपर ज़िलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2004 131261

अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी तथा समुनिदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (न०)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31262

उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द ''विक्रेता'' और ''क्रेता'' के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, ''विक्रेता'' में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा ''क्रेता'' में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव जिन्होंने अपने सगे भाई ए०के० श्रीवास्तव (डॉ० अशोक कुमार श्रीवास्तव) पुत्र स्वर्गीय डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में दिनांक 15.10.1988 ई०

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव
अधिकृत मुख्तारआम
ललित कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 131263

को पॉवर ऑफ एटार्नी निष्पादित किया है और जो उपनिबन्धक (प्रथम) इलाहाबाद के कार्यालय में बही संख्या 4 जिल्द संख्या 597 के पृष्ठ संख्या 55 से 58 में क्रमांक 1715 पर दिनांक 06.12.1988 ई० को रजिस्टर्ड है, के एटार्नी होल्डर के रूप में अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल से परिवर्तित फ्रीहोल्ड भूखण्ड संख्या 1, बैली मुस्तखारआ, इलाहाबाद (पार्ट) क्षेत्रफल 592 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, तहसील सदर, शहर इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

KY 131264

(17)

चौहद्दी निम्नलिखित है :-

चौहद्दी :-

पूरब - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव का।

पश्चिम - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग श्री विनोद कुमार का।

उत्तर - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।

दक्षिण - पी० डी० टण्डन रोड (कानपुर रोड) इलाहाबाद।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A80139, दिनांक 31.03.2015 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये 92,71,622/- (रुपये बानवे लाख इकहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव
प्रशिमा पुष्कराज
ललित कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2017 AV 131265

(18)

संख्या A 110016 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार बानवे मात्र) जमा कर दिया है।

इस फ्रीहोल्ड-विलेख में मुबलिग 8,03,400/- रुपया ज़रिये E-Stamp जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP62985182676268P व सीरियल नम्बर VO0006568 11 है, के द्वारा व मुबलिग 17,000/- रुपया का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प अदा किया है इस प्रकार कुल स्टाम्प ड्यूटी मुबलिग 8,20,400/- रुपया अदा कर दी गई है। [illegible]

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा (...शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

अनिल ... पुत्र स्व० डा० ...
श्याम श्रीवास्तव निवासी 31, ... ,
इलाहाबाद ... 318,
... , शहर, इलाहाबाद
द्वारा मुख्तारआम आलोक कुमार श्रीवास्तव

1. साक्षी का हस्ताक्षर

2. साक्षी का हस्ताक्षर

नाम Rajesh Kumar Gupta
पिता Shri R.P. Gupta
निवास 21/19, Mayo Road, Allahabad
आधार कार्ड सं० 464841624587
मोबाइल नं० 9415218559

Vinay ... s/o ...
...

नाम Manoj Kumar Misra
पिता Late M.N. Misra
निवास 33, Darbhanga Colony, Allahabad
आधार कार्ड सं० 5428 0097 3947
मोबाइल नं० 9839053922

SITE PLAN OF NAZUL PLOT NO.-1,BELI MUSTKHARJA,BUNGALOW NO.-6,P.D.TANDON ROAD,ALLAHABAD, AREA:592.80 SQM WHICH APPLIED FOR FREEHOLD IN FAVOUR OF SH.LALIT KUMAR SRIVASTAVA, S/O LATE DR. RADHEY SHYAM SRIVSTAVA TOTAL AREA OF NAZUL PLOT NO.-1,BELI MUSTKHARJA ,BUNGLOW NO.-6,P.D.TANDON ROAD,ALLAHABAD-2 ACRE:2879 SQYD.

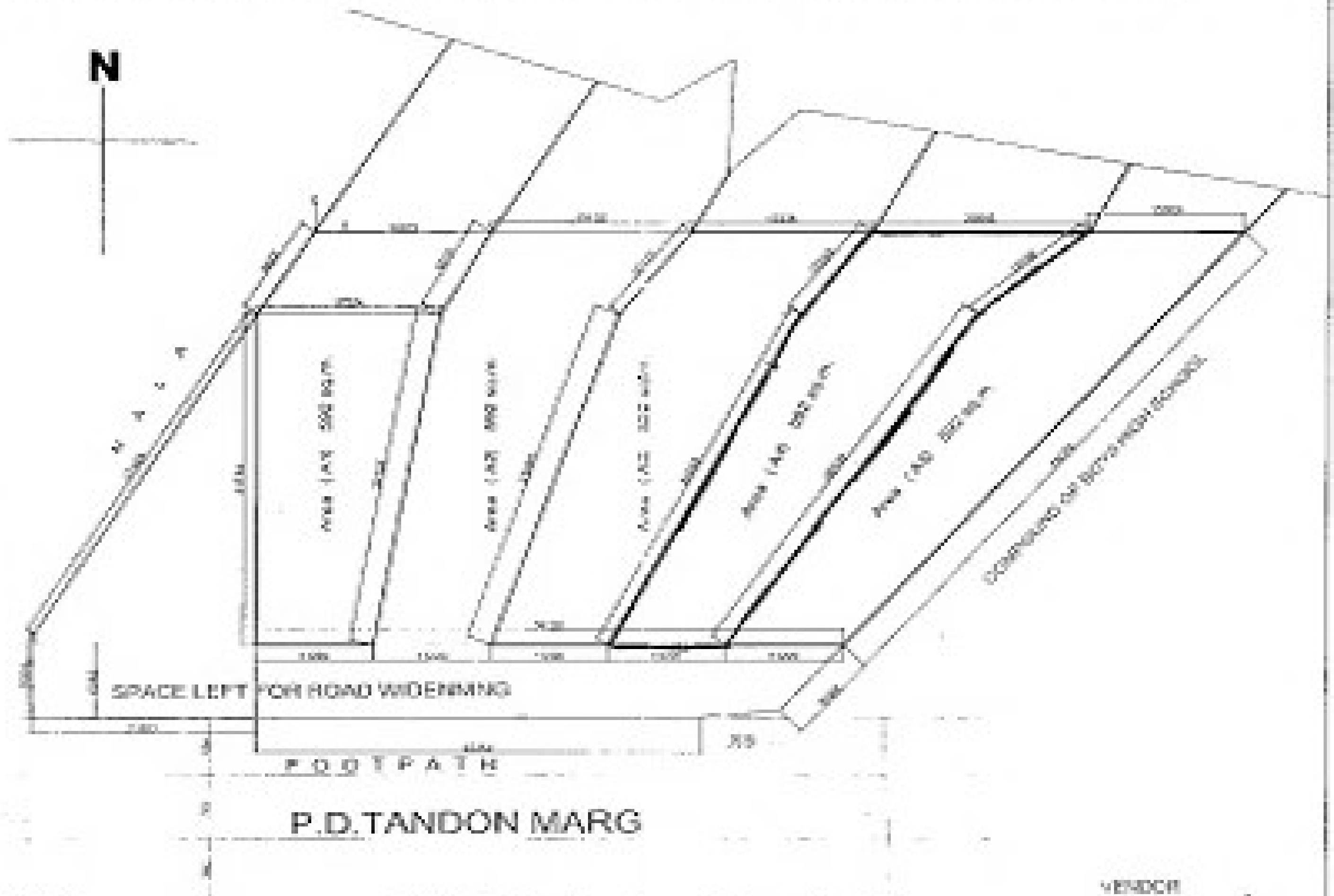

VENDEE

VENDOR

A.D.M. (NAZUL)

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP[illegible]P
Certificate Issued Date	:	[illegible]
Account Reference	:	[illegible] LAHABAD/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	[illegible] 035771624509[illegible]
Purchased by	:	La[illegible] Thr Attorney A K Srivastava
Description of Document	:	[illegible]
Property Description	:	NAZUL [illegible] FreeHoldPlotNo. [illegible] Tondon [illegible] DetailsAsPer[illegible]Deed
Consideration Price (Rs.)	:	1,[illegible] ([illegible] Lakh Eighteen Thousand And Ninety Two only)
First Party	:	A[illegible] BEHALF OF U.P. GOVERNOR
Second Party	:	Lalit Kumar [illegible] Thr Attorney A K Srivastava
Stamp Duty Paid By	:	[illegible] Thr Attorney A K Srivastava
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	[illegible]803,400 ([illegible] Lakh Three Thousand Four Hundred only)

Please write or type below this line

(लक्ष्मी शंकर सिंह)

VC[illegible]0005[illegible]44

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR BRADESH

10 JAN 2017 AV 131249

(2)

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2017 ई० के अप्रैल माह के 29...वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् 1939 के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी...वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव आधार कार्ड नम्बर मोबाइल नम्बर निवासी 31, तुला रामबाग, इलाहाबाद वर्तमान निवासी मकान नम्बर 318, अलोपीबाग, डाकखाना-अलोपीबाग, परगना व तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

गया है।)द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूंकि दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौंसिल एवं श्री एन० के० मुकर्जी के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 27.10.1921 जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 469 के पन्ना 57 में विलेख संख्या 1571 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, ज़िला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 09.11.1921 ई० को रजिस्टर्ड है, ।जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल को 'पट्टादाता' और उक्त श्री एन० के० मुकर्जी को ''पट्टेदार'' कहा गया है। और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 4423 वर्गगज था, का पट्टा, दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल द्वारा श्री एन० के० मुकर्जी के पक्ष में दो 30-30 वर्षीय मध्यवर्तीय नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्षों के लिये दिनांक 27.10.1921 ई० को निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1921 ई० से 30 वर्ष के लिये प्रभावी रहा और श्री एन० के० मुकर्जी का नाम पट्टेदार के रूप में नजूल भूखण्ड उपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में अंकित रहा। पट्टेदार श्री एन०

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अनिल कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2007 AY 131251

(4)

के० मुकर्जी के निधनोपरान्त श्री अनिल नीलमनी मुकर्जी (श्री ए० एन० मुकर्जी) श्री सुशील कुमार मुकर्जी (श्री एस० के० मुकर्जी) उनके पुत्रगण व श्रीमती तोरुलता मुकर्जी व श्रीमती प्रीतिलता मुकर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत रहमान पत्नी श्री जेड० एफ० रहमान उनकी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी हुये। तत्पश्चात श्री अनिल नीलमनी मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी ने दिनांक 18.09.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार धनबाद में दिनांक 24.09.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्री सुशील कुमार मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी ने दिनांक 19.10.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद में दिनांक 22.10.1945 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती प्रीतिलता मुकर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत रहमान पत्नी श्री जेड० एफ० रहमान ने दिनांक 27.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN ... AV 131252

सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर-ऑफ-एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार शिमला में दिनांक 30.08.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती शोरलता मुकर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी व पत्नी कैप्टन डी०पी०एम० दत्ता ने दिनांक 01.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार देहरादून में दिनांक 03.09.1946 ई० को हुई है। तत्पश्चात पट्टेदार के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के जनरल व स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन ने बंगला नम्बर 6, कानपुर रोड (पुरुषोत्तमदास टण्डन रोड) इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज़ व उस पर निर्मित समस्त आउट हाउजेज (मकानात) पेड़, बाग, कम्पाउण्ड वॉल, मय ज़मीन व मय तामीरात मय लीज़ होल्डर्स राइट्स को, विक्रय पत्र रजिस्ट्री शुदा दिनांक 23.02.1948 ई० के माध्यम से डा० राधेश्याम श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय बाँके बिहारी लाल श्रीवास्तव के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर ज़िलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर ज़िलाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2011 AV 131253

(6)

संख्या 1 जिल्द संख्या 850 के पन्ना 197 से 206 में दस्तावेज़ नम्बर 281 पर दिनांक 27.02.1948 ई० को सब रजिस्ट्रार चायल, ज़िला इलाहाबाद के कार्यालय में हुई है।

तत्पश्चात नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज का पट्टा दि गर्वनर ऑफ यूनाईटेड प्राविन्स द्वारा दिनांक 12.02.1949 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 23.02.1948 ई० से 3 वर्ष 7 माह 7 दिन के लिये प्रभावी था। पट्टा विलेख की रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 869 के पन्ना 247 से 258 में विलेख संख्या 273 के रूप में दिनांक 08.04.1949 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, ज़िला इलाहाबाद में हुई है और डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का नाम नज़ूल भूखण्ड उपरोक्त पर नज़ूल सम्पत्ति पंजिका में पट्टेदार के रूप में अंकित हुआ। पट्टे की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज का नवीनीकृत पट्टा दि गर्वनर ऑफ यूनाईटेड प्राविन्स द्वारा दिनांक 28.04.1954 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव
कौशिल कुमार [illegible]
सुनील कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर ज़िलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 131254

30 JAN 2017

(7)

गया जो दिनांक 01.10.1951 ई० से 30 वर्षों के लिये प्रभावी हो। नवीनीकरण पट्टा विलेख रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 982 के पना 344 से 346 में विलेख संख्या 2409 के रूप में दिनांक 27.12.1954 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद में हुई है। पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का स्वर्गवास अरसा पूर्व दिनांक 24.06.1983 ई० को हो गया है और उनकी पत्नी श्रीमती तारा श्रीवास्तव का भी स्वर्गवास दिनांक 25.03.2002 ई० को हो गया है और स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती तारा श्रीवास्तव ने अपने स्वर्गवास पर डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव को अपना पुत्रगण व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार को अपनी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा। इस प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रगण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तकारजा बंगला नम्बर 6, पुरूषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31 JAN 2017 131255

(8)

वर्गगज के संयुक्त पट्टेदार हुये। तत्पश्चात स्वर्गीय पट्टेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रगण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद के सम्बन्ध में आपसी समझौते के अनुसार ओरल फैमिली सेटेलमेन्ट हो गया और उक्त ओरल फैमिली सेटेलमेन्ट की बावत एक दस्तावेज बतौर याददाश्त दिनांक 20.03.2015 को स्वर्गीय पट्टेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य तहरीर व तकमील किया गया जिसके अनुसार ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद, का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A4 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
वरिष्ठ मुख्तारआम
ललित कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10 JAN 2017 AV [illegible]31256

हुआ। इसी प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली गुलखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A5 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली गुलखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A3 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ व इसी प्रकार श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली गुलखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव
[illegible]
[illegible]

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31 JAN 2013 131257

(10)

मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A2 से दिखाया गया है, की तनहा मालिक हुई व इसी प्रकार श्रीमती रेनू कुमार पत्नी श्री डा० अनिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, वेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A1 से दिखाया गया है, की तनहा मालिक हुई।

तत्पश्चात पट्टेदार के विधिक उत्तराधिकारी ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव ने नजूल भूखण्ड संख्या 1, वेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद में अपने अंश भाग के अंश भाग क्षेत्रफल 592 वर्गमीटर भूमि को अपने पक्ष में फ्रीहोल्ड कराने हेतु उत्तर प्रदेश

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
अधिकृत मुख्तारआम
ललित कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3 * JAN 2017 13 1258

(11)

शासन की नई नजूल नीति के अन्तर्गत आवेदनपत्र संख्या 90 दिनांक 31.03.2015 ई० को प्रस्तुत किया गया। जिसका फ्रीहोल्ड पट्टेदार के विधिक उत्तराधिकारी ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार "क्रेता" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड, जिसे इस विलेख की अनुसूची में वर्णित किया गया है, का पट्टेदार का विधिक उत्तराधिकारी है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसका वह पट्टेदार का विधिक उत्तराधिकारी है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-2288/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-296 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस क्रेता के कुलवार

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
वरिष्ठ पुत्र/...
ललित कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

© 30 JAN 2017 131259

पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-266 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.06.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A80139, दिनांक 31.03.2015 द्वारा तथा दिनांक 07.10.2016 को निर्गत मांग पत्र संख्या 348/नजूल-एस.एन.सी. XXI-8/90(फ्रीहोल्ड) 2016-2017 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 92,71,622/- (रुपये बानवे लाख इकहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A 110016 दिनांक 31.12.2016

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव
[illegible]
[illegible]

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद